



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274949
CG-DL-E-29072026-274949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2026/श्रावण 7, 1948

No. 616]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/SHRAVAN 7, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 678(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खेल अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं** — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
(क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (2025 का 25) अभिप्रेत है;
(ख) “अध्यक्ष” से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचियाँ अभिप्रेत हैं; और

(घ) “अधिकरण” से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय खेल अधिकरण अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों तथा जो उसमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. लागू होना — ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स का स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-1 के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची-1 के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता — वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया— जहाँ अनुसूची-1 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति की जानी हो, वहाँ केन्द्रीय सरकार, अधिकरण के परामर्श से, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु व्यापक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगी।

8. आवास— अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, वेतन मैट्रिक्स के तत्समान स्तर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार के प्रवृत्त नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे।

9. अनुशासनात्मक कार्यवाही— अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, वेतन मैट्रिक्स के तत्समान स्तर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार के प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन होंगे।

10. सेवा की शर्तें— (1) अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, ऐसे विषयों में जिनके संबंध में इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, वेतन मैट्रिक्स के तत्समान स्तर पर वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार के प्रवृत्त नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी।

(2) भविष्य निधि योजना, समूह बीमा या अन्य किसी बीमा योजना, अधिवार्षिता की आयु, पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विषयों में, प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, अपने मूल मंत्रालय, विभाग या संगठन पर लागू नियमों द्वारा ही शासित होते रहेंगे।

(3) अधिकरण, उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट योजनाओं के संबंध में देय अंशदान, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से वसूल करेगा तथा उक्त राशि बिना किसी विलंब के उधारदाता मंत्रालय, विभाग या संगठन को प्रेषित करेगा और विलंब से प्रेषण के कारण ब्याज की कोई भी हानि होगी, उसका वहन अधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(4) अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, अपने मूल संगठन में अपनी पात्रता के अनुसार या अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट के अनुसार चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

11. शिथिल करने की शक्ति -जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह अधिकरण के अध्यक्ष से परामर्श करके उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

12. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची 1

अधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी

[नियम 3 और नियम 7 देखें]

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रजिस्ट्रार	1* (2026)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (1,23,100–2,15,900 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमे लन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमे लन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमे लन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800-2,09,200रूपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67,700-2,08,700 रूपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखता हो, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि; और (ii) कार्मिक, प्रशासन तथा न्यायिक और वाद		
--	--	--	--	--	--	--

				प्रबंधन संबंधी मामलों में अनुभव । टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप रजिस्ट्रार	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखता हो, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि; और (ii) कार्मिक, प्रशासन तथा न्यायिक और वाद प्रबंधन संबंधी मामलों में अनुभव ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

				टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के ऐसे अधिकारी,—	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखता हो, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरी में स्नातक की उपाधि; और (ii) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मामलों के संचालन का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार		
--	--	--	--	---	--	--

				वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. प्रधान निजी सचिव	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखता हो, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; और (ii) सुसंगत क्षेत्र में अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. निजी सचिव.	2* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				अनुभव रखता हो, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; और (ii) सुसंगत क्षेत्र में अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. न्यायालय मास्टर।	3* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के ऐसे अधिकारी,—	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखता हो, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि; और (ii) सुसंगत क्षेत्र में अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

				टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. सहायक (न्यायिक)।	3* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रूपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रूपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				अनुभव रखते हों, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; और (ii) कार्मिक और प्रशासनिक मामलों में अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ग' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; और (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम छह माह की अवधि का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. लेखा अधिकारी.	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53,100-1,67,800 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; और (ii) वित्तीय, बजट या लेखा संबंधी मामलों के संचालन का अनुभव।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. ज्येष्ठ लेखाकार	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200-92,300 रुपये) या	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; और (ii) वित्तीय, बजट या लेखा संबंधी मामलों के संचालन का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. अनुभाग अधिकारी।	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्:—	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि ; और (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक मामलों में अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. सहायक अनुभाग अधिकारी	2* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				अधिकरण के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; और (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक मामलों में अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन		
--	--	--	--	--	--	--

				वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. हिंदी अनुवादक।	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200-92,300 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; और (ii) सुसंगत क्षेत्र में अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. पुस्तकाध्यक्ष	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण के अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200-92,300 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात्:— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या न्यायालय या अधिकरण या किसी मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्था के पुस्तकालय में कार्य का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

				टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

अनुसूची 2

चिकित्सा सुविधाएँ

[नियम 10 का उप-नियम (4) देखें]

1. बाह्य रोगी चिकित्सा व्यय — (1) अधिकारी और कर्मचारी स्वयं तथा परिवार के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजन के लिए, “परिवार” पद का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में नियत किया गया है।

(2) वर्ष के दौरान बाह्य रोगी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की 1 जनवरी को मूल वेतन और महंगाई भत्ते सहित एक मास के वेतन, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

(3) दावे के साथ चिकित्सक का परामर्श-पत्र और चिकित्सक द्वारा उपचार, दवाओं की खरीद आदि के लिए जारी मूल नकद रसीदें/बिल होनी चाहिए तथा वर्ष के दौरान वेतनवृद्धि या प्रोन्नति प्राप्त होने से 1 जनवरी को निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा प्रभावित नहीं होगी।

(4) वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वार्षिक पात्रता आनुपातिक आधार पर सीमित होगी।

(5) बाह्य रोगी उपचार, अधिकरण द्वारा संधारित पैनल में सम्मिलित प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों से ही कराया जाएगा।

2. अंतःरोगी उपचार — (1) अंतःरोगी उपचार के प्रयोजन के लिए, अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी इस निमित्त अधिकरण द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के पात्र होंगे और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल में

आवास तथा नर्सिंग होम सुविधा सहित उपचार की लागत, समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगी।

(2) उपर्युक्त खंड (1) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अस्पताल वही होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

(3) प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार केवल आपातकाल की स्थिति में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों की सलाह पर कराया जा सकेगा।

[फा. सं. 12-7/2026-शासन-1]

कुणाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2026

G.S.R. 678(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (p) of sub-section (2) of section 31 of the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the National Sports Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** — (1) In these rules, unless the context otherwise requires:
 - (a) “Act” means the National Sports Governance Act, 2025 (25 of 2025);
 - (b) “Chairperson” means the Chairperson appointed under sub-section (4) of section 17 of the Act;
 - (c) “Schedule” means the Schedules annexed to these rules; and
 - (d) “Tribunal” means the National Sports Tribunal constituted under sub-section (1) of section 17 of the Act.
 (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the Act, shall have the meaning as assigned to them in the Act.
3. **Application.** — These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of Schedule I annexed to these rules.
4. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** — The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said schedule I.
5. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule I.
6. **Disqualification.** — No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Procedure for appointment on deputation basis.** — Where appointment through deputation as specified under Schedule I is undertaken, the Central Government, in consultation with the Tribunal, shall invite applications through wide advertisement for appointments to posts, as specified in Schedule I.
8. **Accommodation.** — The officers and employees of the Tribunal shall be eligible to House Rent Allowance in accordance with the extant rules of the Central Government as applicable to officers and employees drawing pay and allowances in the corresponding level in the pay matrix.
9. **Disciplinary proceedings.** — The officers and employees of the Tribunal shall be subject to disciplinary proceedings in accordance with the extant rules and regulations of the Central Government as applicable to officers and employees drawing pay and allowances in the corresponding level in the pay matrix.
10. **Conditions of service.** — (1) The conditions of service of the officers and employees of the Tribunal, in matters for which no provision or insufficient provision is made in these rules, shall be governed by the extant rules and orders of the Central Government as applicable to officers and employees drawing pay and allowances in the corresponding level in the pay matrix.
 (2) In matters relating to the Provident Fund Scheme, Group Insurance or any other insurance schemes, age of superannuation, pension and retirement benefits, officers and employees of the Tribunal working on deputation basis shall continue to be governed by the rules applicable to them in their parent Ministry or department or organisation.
 (3) The Tribunal shall recover contributions toward the schemes as specified in sub-rule (2), from the salary of such officers and employees and remit the amount without any delay to the lending Ministry or Department or organisation and any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Tribunal.
 (4) The officers and employees of the Tribunal shall be eligible to avail medical facilities as per their entitlement in the parent organisation, or as specified in Schedule II.
11. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Chairperson of the Tribunal, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
12. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the rules and orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE I

Officers and Employees of the Tribunal

[see rules 3 and 7]

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Registrar.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post to the Government of India.	Level -13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment, promotion, deputation/absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion, or by deputation/absorption, grades from which promotion, or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level -11 in the pay matrix (Rs. 67700-	Not applicable.	Not applicable.

				208700) or equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree in law from a recognised University or institute; and (ii) experience in personnel, administration and judicial and case management matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding		
--	--	--	--	--	--	--

				fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Registrar.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post to the Government of India.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing the following educational qualification and	Not applicable.	Not applicable.

				experience, namely: — (i) Bachelor's degree in law from a recognised University or institute; and (ii) experience in personnel, administration and judicial and case management matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Deputy Director (Information Technology).	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post to the Government of India.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree in Information	Not applicable.	Not applicable.

				Technology, Computer Science, Computer Engineering from a recognised University or institute; and (ii) experience of handling Information Technology related matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Principal Private Secretary.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post to the Government of India.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) having experience in the relevant field.	Not applicable.	Not applicable.

				Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Private Secretary.	2* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post to the Government of India.	Level -8 in the pay matrix (Rs.47600 -. 151100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent	Not applicable.	Not applicable.

				cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) having experience in the relevant field.		
--	--	--	--	---	--	--

				Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Court Master.	3* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post to the Government of India.	Level -7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent	Not applicable.	Not applicable.

				cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree in law from a recognised University or institute; and (ii) having experience in the relevant field. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of		
--	--	--	--	--	--	--

				the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Assistant (Judicial).	3* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post to the Government of India.	Level -7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400- 112400) or	Not applicable.	Not applicable.

				equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) having experience in personnel and administrative matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date		
--	--	--	--	---	--	--

				of receipt of applications.		
--	--	--	--	-----------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Stenographer Grade 'D'.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'C' post to the Government of India.	Level -4 in the pay matrix (Rs. 25500 - 81100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and b. Computer training course of atleast six months duration from a recognised institution. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall	Not applicable.	Not applicable.

				ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Accounts Officer.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post to the Government of India.	Level -9 in the pay matrix (Rs. 53100 - 167800).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent in the parent	Not applicable.	Not applicable.

				cadre or department; or (iii) with three years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and b. possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) having experience in handling financial, budget or accounts related matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of		
--	--	--	--	--	--	--

				the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Senior Accountant.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post to the Government of India.	Level -6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in	Not applicable.	Not applicable.

				the parent cadre or department; or (iii) with ten years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and b. possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) having experience in handling financial, budget or accounts related matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation		
--	--	--	--	---	--	--

				or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Section Officer.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post to the Government of India.	Level - 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in	Not applicable.	Not applicable.

				the parent cadre or department; or (iii) with six years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and b. possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) having experience in personnel and administrative matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central		
--	--	--	--	---	--	--

				Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. Assistant Section Officer.	2* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post to the Government of India.	Level - 7 in the pay matrix (Rs. 44900 142400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400- 112400) or equivalent in the parent cadre or	Not applicable.	Not applicable.

				department; and b. possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) having experience in personnel and administrative matters. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. Hindi Translator.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post to the Government of India.	Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal, — a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and b. possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) having experience in relevant field. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre	Not applicable.	Not applicable.

				post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Librarian.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post to the Government of India.	Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal,— a. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-	Not applicable.	Not applicable.

				92300) or equivalent in the parent cadre or department; and b. possessing the following educational qualification and experience, namely: — (i) Bachelor's degree in Library Science or Library Information Science from a recognised University or institute; and (ii) minimum two years experience in Library under the Central Government or State Government or Union territory Administration or Court or Tribunal or recognised research or educational institution. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation		
--	--	--	--	--	--	--

				or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	---	--	--

SCHEDULE II

Medical Facilities

[see sub-rule (4) of rule 10]

- 1. Outdoor Medical Expenses.** — (1) Officers and employees shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation.— For the purpose of this clause, the expression “family” has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month’s pay, including basic pay and dearness allowance, on 1st January of the year whichever is lesser.

(3) The claim should be supported by a doctor’s prescription and the original cash memos, bills for treatment by the doctor, purchase of medicine, and the release of increment or promotion during the year, shall not affect the reimbursement limit as on 1st January.

(4) For the officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be taken from authorised medical attendants from the panel as maintained by the Tribunal.

- 2. Indoor Treatment.** — (1) For the purpose of indoor treatment, the officers and employees of the Tribunal shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Tribunal in this behalf, and for this purpose, the cost of treatment including hospital accommodation and nursing home facility shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.

(2) The authorised hospitals for the purpose of clause (1) above shall be the same as are available to Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(3) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the authorised medical attendants only in emergency.

[F. No. 12-7/2026-Governance-1]

KUNAL, Jt. Secy.